यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (हेल्थ सोसाईटी सहित), पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (हेल्थ सोसाईटी सहित), पौडी** के माह 01/2018 से माह 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 11.01.2019 से 23.01.2019 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस0 के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.01.2018 से 31.01.2018 तक श्री आई0 के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2017 से माह 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना। (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	0	0	408.02	345.00	63.02	1232.54	1225.79	6.75
2017-18	0	0	414.13	408.65	5.48	351.19	343.25	7.94
2018-19 (Up to 12/18)	0	0	406.70	343.71	62.99	148.29	76.70	71.59

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

Year	Name of Schemes	OB	Receipt	Total	Expenditure	CB
2015-16	NHM,IDSP, NLEP,NTCP	824.86	1501.86	2326.72	1435.67	891.05
2016-17		891.05	2275.39	3166.44	1835.18	1331.26
2017-18		1331.26	1231.00	2562.26	1714.69	847.57
2018-19 (Up to 12/18)		847.57	1242.00	2089.57	1253.00	836.57

( ) इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी

( )**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्टीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि योजना, एवं स्थापना आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाए) का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए) के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:1- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी में ₹ 1.03 लाख की धनराशि का भुगतान अस्वीकृत किया जाना

उत्तराखंड शासन द्वारा फरवरी 2015 में राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) लागू करने का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक APL तथा BPL परिवार (राजकीय कर्मचारी तथा पेंशनधारी परिवारों को छोड़कर) को नकद रहित चिकित्सा उपचार की सुविधा दी गई है यह लाभ केवल अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की दशा में देय था . योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा . प्रत्येक परिवार का एक MSBY कार्ड बनेगा जिसके लिए प्रत्येक परिवार को ₹ 30/ पंजीकरण शुल्क देय होगा बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹50,000/ तक निर्धारित की गई है. योजना के अंतर्गत ₹335 / प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से बीमा कवर दिया जायेगा जो कि सरकार द्वारा देय था . योजना के अंतर्गत एमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों को बीमा कंपनी के साथ द्विपक्षीय अनुबंध करना था एमएसबीवाई कार्ड धारकों को किसी भी पंजीकृत सरकारी चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी द्वारा किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है

दिनांक 09 नवंबर 2017 को उत्तराखंड सरकार ने एमएसबीवाई स्कीम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और 14 नवम्बर 2017 को पुनः स्कीम को प्रारम्भ करते हुये निर्देशित किया गया कि अब चिकित्सालयों को क्लैम की सूचना उस जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु चि अ.) के ईमेल आईडी पर अपलोड करना होगा फिर मु चि अ कार्यालय द्वारा दो घंटे के अंदर प्री औथ दिया जाएगा
प्री औथ देने के बाद चिकित्सालय द्वारा मरीज का इलाज प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा अंतिम दस्तावेज़ को मु चि अ कार्यालय के ईमेल पर अपलोड किया जाएगा, तत्पश्चात मु चि अ कार्यालय द्वारा उक्त प्रत्येक मरीज से संबन्धित अभिलेखों को महानिदेशक कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा महानिदेशक कार्यालय द्वारा उक्त मरीज से संबन्धित क्लेम का भुगतान संबन्धित चिकित्सालय को किया जाएगा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इस अवधि में जनपद के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, बेस चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों, जिला महिला चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों के 244 मरीजों के संबंध में ₹ 21,01,550/ की धनराशि का क्लेम किया गया था जिसमे से ₹ 16,13,450 की राशि का भुगतान स्वीकृत किया गया है इस स्वीकृत राशि में से ₹ 10,13,550/ का भुगतान ही अभी तक प्राप्त किया गया है, तथा ₹ 5,99,900/ की धनराशि का क्लेम अभी तक लंबित है। महानिदेशक कार्यालय द्वारा ₹ 1,03,400/ की राशि का दावा अस्वीकृत किया गया है (विवरण संलग्नक में)

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि संबन्धित चिकित्सालयों द्वारा मरीजों के पूर्ण प्रपत्र न भरे जाने के राशि अस्वीकृत की गई है।

उत्तर से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को जनपद का नोडल एजेंसी बनाए जाने के बाद इकाई द्वारा जनपद के चिकित्सालयों को मरीजों के अपूर्ण प्रपत्रों के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गए हैं कि जिससे कि ₹ 1.03 लाख के मरीजों के दावे अस्वीकृत किए गए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

SS1/0243/18-19

Details of Rejected claims of Mukhyamantri Swasthya Bima Yojna during Novermber 2017 to December 2018

Sr. No.	Patient Name	Hospital Name	Amount
1.	Kalpa	Combined Hospital Kotdwar	5500
2.	Shanti Devi	Base Hospital Srinagar	12000
3.	Rashmi	Female Hospital Pauri	4000
4.	Vimla Devi	Combined Hospital Kotdwar	3300
5.	Soorat Singh	Base Hospital Srinagar	16000
6.	Heena	CHC Ghandiyal	4000
7.	Makhni Devi	Base Hospital Srinagar	1100
8.	Om Prakash	Base Hospital Srinagar	11000
9.	Damodar Prashad	Base Hospital Srinagar	12000
10.	Soban Singh	Base Hospital Srinagar	5500
11.	Bachan Singh	Base Hospital Srinagar	13000
12.	Shyam Singh	Base Hospital Srinagar	16000
Total			**1,03,400**

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 2 धनराशि रु0 24.24 लाख मूल्य के चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का उलंघन कर क्रय किये जाने तथा आपूर्तिकर्ता को धनराशि रु0 11800 का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 3(10) के अनुसार अधिप्राप्ति हेतु निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार 25 लाख से अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम 02 व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए। रु0 25 लाख से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाय। निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के लेखापरीक्षा अवधि 01/2018 से 12/2018 की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री के अधिप्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि धनराशि रु0 24.24 लाख मूल्य के चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री क्रय करते समय अधिप्राप्ति नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का पालन न कर अर्थात निविदा के माध्यम से क्रय न कर अधिप्राप्ति सामग्री को टूकडों में विभक्त कर कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया है जबकि संदर्भित सभी अधिप्राप्ति माह मार्च 2018 में सम्पादित की गयी थी **(संलग्रक-1)**। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रीन लाईन फार्मा से क्रय की गयी 04 Infantometer के देयक की जॉच में पाया गया कि इस मशीनरी के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा रु0 3500 + GST प्रति नग की दर से कोटेशन प्रदान एवं स्वीकृति की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय के उपरान्त रु0 6000 + GST की दर से देयक प्रस्तुत की गयी तथा कार्यालय द्वारा उक्तानुसार भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार से इस मशीनरी के लिए रु0 2500 + GST अधिक दर से प्रति नग कुल धनराशि रु0 11800 का आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि भविष्य में क्रय की जाने वाली सभी सामग्रियों को समेकित करते हुए निविदा के माध्यम से सामग्रियों की अधिप्राप्ति

सुनिश्चित की जाएगी। अधिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि सम्बन्धित फम से वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।

अतः धनराशि रु0 24.24 लाख मूल्य के चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का उलंघन कर क्रय किये जाने तथा आपूर्तिकर्ता को धनराशि रु0 11800 का अधिक भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रय की गयी गयी चिकित्सा उपकरणों का विवरण

क्र.सं.	देयक संख्या	देयक दिनांक	उपकरण का विवरण	मदों की संख्या	धनराशि
1.	496	20.03.2018	Infusion Pump	05	235200
2.	77	20.03.2018	Double side Phototherapy Infant meter	03,04	247800
3.	59	21.03.2018	Servo control radiant warmer, single surface phototherapy	03,02	249570
4.	63	24.03.2018	Pulse Oximeter	05	247800
5.	76	20.03.2018	Endo moto, light cure gum, Auto clave, scaller etc.	06	236826
6.	497	20.03.2018	RVG, curtangle, luxa torperiotone hit, micro motor etc.	05	199472
7.	68	23.03.2018	HIV card	5650	226028
8.	847	22.03.2018	MVA kit, PDC test kit, screening card, sugar in PW	3455	199115
9.	72	24.03.2018	Misoprostol tab	4380	218986
10.	848	22.03.2018	Nicotin Gum	455	25025
11.	60	21.03.2018	Dental chair, Wall mount X ray, compressor	03	238672
12.	71	23.03.2018	Spirometer	01	99415
Total					**2423909**

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 183.64 लाख के व्यय के बावजूद भौतिक लक्ष्य अप्राप्त रहना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की निर्देशिका के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों मे रहने वाले 0-6 वर्ष के बच्चों के अलावा 18 वर्ष की उम्र तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों मे पढ़ने वाले 1 से 12 वीं तक के बच्चों को आच्छादित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 09 जन्मजात कमियों, बचपन की बीमारियों एवं न्यूनताओं की जांच, पहचान एवं इलाज करना है। दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीएसके की मोबाइल स्वास्थ्य टीम आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का वर्ष में दो बार जांच (Screening) की जाएगी जबकि स्कूली बच्चों की वर्ष में एक बार जांच की जाएगी।

जनपद पौड़ी के समस्त 15 विकास खंडों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में निम्न प्रकार से व्यय किया गया है

मद	राशि
मानव संसाधन	1,35,10,000
वाहनो पर व्यय	45,84,000
आकस्मिकता	90,000
डाटा कार्ड (इंटरनेट)	1,80,000
योग	1,83,64,000

वर्ष 2017-18 में आरबीएसके के अंतर्गत 1,03,399 स्कूली विद्यार्थियों की जांच संबंधी निर्धारित लक्ष्य में से 86,157 (83%) की प्राप्ति की गई है जबकि आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के निर्धारित लक्ष्य 92,576 में से 57,589 (62%) बच्चों की ही जांच की जा सकी है।

विकासखंड वार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्ष 2017-18 में जनपद पौड़ी के विकास खंड कोट में आंगनवाड़ी बच्चों का लक्ष्य 33%, कालजीखाल विकास खंड में 51%, बीरोंखल विकास खंड में 44% नैनीडांडा तथा पोखरा विकास खंड में 50% जबकि थैलीसैन विकास खंड में 46% का लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका जो कि आरबीएसके कार्यक्रम की असंतोषजनक प्रदर्शन का द्योतक है।

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के प्रथम 09 माह (अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक) में स्कूली बच्चों के निर्धारित लक्ष्य में से 64 % तथा आंगनवाड़ी बच्चों के 60% लक्ष्य की पूर्ति हो पाई है। विकास खंड जयहरी खाल में स्कूली बच्चो के मात्र 12% तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के मात्र 31% बच्चो का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के शेष तीन महीनों (जनवरी 2019 से मार्च 2019) में वार्षिक लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकेगा।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि भविष्य में लक्ष्य प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर मान्य नहीं है, ₹ 183.64 लाख के व्यय के बावजूद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के परीक्षण का लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग दो ब

प्रस्तरः 4– धनराशि की उपलब्धता के बावजूद विभागीय शिथिलता के कारण निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप पोषण आहार की धनराशि से मरीजों को वंचित रखना।

भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार (Revised National TB control Programme) Government of India Ministry of Health & Family welfare (Central TB Division) Nutrional Support to TB patients (Nikshay Poshan Yojana) के अर्न्तगत **All TB patients notified on or after 1st April 2018 including all existing TB patients under treatement are eligible to receive incentives.** The patient must be registered/ notified on the NIKSHAY portal. Financial incentive of Rs 500 per month for each notified TB patient for duration for which the patients is on anti TB treatment

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी में संचालित (Revised National TB control Programme) के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के लिए जनपद में इलाज करा रहे मरीजों के लिए शासकीय क्षेत्र में 900 एवं प्राईवेट क्षेत्र में 611 कुल 1511 मरीजों को चिन्हित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर पोषण आहार की धनराशि का लाभ प्रदान करने के लिए NIKSHAY portal में पंजिकृत किया जाना था। **जाचॅ में पाया गया कि** सम्प्रेक्षा अवधि (01/19) तक विभाग द्वारा जनपद में शासकीय एवं प्राईवेट दोनों के अन्तर्गत कुल 1511 के सापेक्ष केवल 432 चिन्हित मरीजों को NIKSHAY portal में पंजिकृत किया गया। पोषण प्रोत्साहन की धनराशि रू 6.56 लाख वितरित की गयी। जबकि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इकाई के पास योजनान्तर्गत धनराशि रु0 27.44 लाख संचालित बैंक खाते में उपलब्ध है। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर **विभाग ने कहा कि निश्चय पोर्टल तकनीकी त्रुटि के कारण भुगतान नही हो पाया है जिस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।**

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि निश्चय पोर्टल तकनीकी त्रुटि होने पर विभाग द्वारा त्रुटि का अविलम्ब ठीक किया जाना चाहिऐ था। जनपद में चिन्हित मरीजों को इलाज के लिए पोषण आहार की धनराशि अविलम्ब वितरित किया जाना चाहिऐ था। क्योकि टी बी के मरीजों को यह पोषण आहार इलाज के दौरान नितान्त आवश्यक है। यदि पोषण की धनराशि विलम्ब से वितरण होती है तो योजना का कोई ओचित्य नही रह जाता है। जबकि विभाग के पास प्रर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

अतः धनराशि की उपलब्धता के **बावजूद** विभागीय शिथिलता के कारण निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप पोषण आहार की धनराशि से मरीजों को वंचित रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

प्रस्तर-1: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वीएचएसएनसी के लिए अवमुक्त धनराशि ₹ 213.32 लाख के व्यय का उपयोगिता प्रमाण नहीं प्राप्त होना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की Operational Guideline for Financial Management का प्रस्तर 5.5.2 में निर्देशित किया गया है कि Village Health, Sanitation and Nutrition Committees (VHSNCs) को अवमुक्त की गई धनराशि को जब तक वास्तविक रूप से व्यय के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र (आवश्यक सहयोगी अभिलेखों के साथ) न प्राप्त कर लिया जाये तब तक उसे व्यय के रूप में अंकित नहीं किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद के सभी चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों को कुल ₹213.32 लाख अवमुक्त किए गए थे, जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक प्राप्त नहीं हुआ था, तथा इस व्यय को वर्ष 2017-18 के तुलन पत्र में व्यय के रूप में दर्शाया गया था।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि उपयोगिता प्रमाणपत्र संबन्धित विकासखंडों के चिकित्सालयों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग—3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग—दो अ प्रस्तर सं0	भाग—दो ब प्रस्तर सं0	STAN प्रस्तर सं0
157	2008—09	1, 2 एवं 3	3	—
15	2010—11	1, 2, 3 एवं 4	—	—
71	2011—12	1	1, 2, 3 एवं 4	—
119	2013—14	—	1 एवं 2	—
148	2016—17	—	1 एवं 2	—
178	2017—18	—	1, 2, 3, 4, 5	—

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः—

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
157/2008-09	Part IIA-01 to 03 Part IIB-03	लम्बित प्रस्तरों के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी तथा अवगत कराया गया कि प्रस्तरों की अनुपालन आख्या अद्यतन स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		
15/2010-11	Part IIA-01 to 04 Part IIB-Nil			
71/2011-12	Part IIA-01 Part IIB-01 to 04			
119/2013-14	Part IIA-Nil Part IIB-01, 02			
148/2016-17	Part IIA-Nil Part IIB-01, 02			
178/2017-18	Part IIA-Nil Part IIB-01 to 05			

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 आर0एस0 राणा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01.01.2018 से 24.04.2018 तक
2	डा0 वी0एस0 जंगपांगी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	25.04.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र